

पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी
भवकाश पर है। कसबे सादिक कार्यवाही
पत्रावली दिनांक 28-6-25
कॉ पत्रावली पेश हो।

17 ⁴/₂₅

28 ⁴/₂₅

पत्रावली पेश। वास्ते पेश करने जवाब दिनांक-
12/06/2025 को पेश हो।

12 ⁶/₂₅

पत्रावली पेश। वास्ते पेश करने जवाब दिनांक-
18/07/2025 को पेश हो।

18 ⁷/₂₅

पत्रावली पेश। अपाधीगण को जवाब पेश करने के लिए
पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं
किये। जवाब बन्द किया जाता है। वास्ते बंद
दिनांक - 11/9/25 को पेश हो।

1 ⁹/₂₅

पत्रावली पेश। बंदुस वकील पाधीगण चुनी गई। वास्ते
आदेश दिनांक - 18/09/25 को पेश हो।

18 ⁹/₂₅

पत्रावली पेश। दौरान बंदुस वकील पाधीगण द्वारा
पुस्तक तर्कों पर मनन किया, जो कि मुख्य रूप
से प्राप्ति में अंकितानुसार है। दुमने बाद मनन
बंदुस पत्रावली का अवलोकन किया। वास्ते
आशजी श्वाता नं० 60 ग्राम जहाजपुरिया पाधीस.
1 व श्वाता नं० 25 ग्राम जहाजपुरिया पाधीस.
2 की बवाते दारी में दर्ज रिकॉर्ड हैं। जिस पर अपाधीगण
द्वारा जबरन कब्जा करने व आये - दिन

अपखण्ड अधिकारी
दिल्ली

दखलदाजी करने का प्राचीनगीत नी कथन कर
उनको प्रा०पत्रानुसार पाबन्द करने का निर्देश
किया गया।

प्रकरण का गुणांकुणों पर निस्तारण हेतु निर्धारित
तीनों बिन्दुओं पर न्यायालय का विवेचन निम्न प्रकार
हुँगा:

1. पुचम दुर्या मामला :- विवादित भूमि स्वाता० न० 60 प्राचीन
स० 1 व स्वाता न० 25 अपाचीस० 2 के नाम ग्राम जहाजपुरिया
प०म० डारूच में स्थित है, जिसके वे स्वामिदार कथक हैं।
जिस पर अन्य व्यक्तियों को दखलदाजी से पाबन्द करने
का हुक व अधिकार प्राचीनगीत के पास सुरक्षित होने से
पुचम दुर्या मामला प्राचीनगीत के पक्ष में बनता है।
2. सुविद्या सतुलन का सिद्धान्त :- विवादित भूमि प्राचीनगीत के
स्वामि व स्वामित्व की होने व बिन्दु संस्था 1 में अंकित
विवेचनानुसार पुचम दुर्या मामला प्राचीनगीत के पक्ष में होने
से सुविद्या सतुलन का सिद्धान्त भी प्राचीनगीत के हुकम में
बनता है।
3. अपूरणीय धरि की सम्भावना -> प्राचीनगीत की स्वामिदारी
भूमि के स्व० न० 94, 98, 99 ग्राम जहाजपुरिया पर अपाचीनगीत
द्वारा जबरन कब्जा करने व प्राचीनगीत को दखल करने का
प्रयास करने से प्राचीनगीत की अपूरणीय धरि की सम्भावना
बनी हुई है।

प्रकरण में उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर अंकित
विवेचनानुसार मामला प्राचीनगीत के पक्ष में बनने से
अपाचीनगीत को ताफैसला वाद हवाई निर्देशानुसार से
पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि स्वाता न०

अपूरणीय अधिकार 0 स्व० न० 99 रकबा 0.8903 हेक्टर व स्वाता न०
दिण्डोली 25 के स्व० न० 100, 102, 64, 94, 95, 96, 97, 98 कोल किला

नम्बर
अहकाम
हुकम को
में जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

8 कुल स्कूल 2.3794 वाले ग्राम जहाजपुरिया पंचमः
डाइरेक्टर के किसी भी न्यू-भाग पर अतिक्रमण नही
करें, पार्श्वीगण को वैश्वल नही करें। उक्त कृत्य ना
तो स्वंग करे, ना ही अन्य से करावे।

पत्रावली फेंसल शुमार की जाकर बाह
तकमिल नम्बर से कम हुकर दाखिल दफतर हुगे।
निर्णय सैरे उपल्लास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली